series respectively) have come to light so far Out of these 4 letters, one was delivered at Delhi The other were detected at Calcutta Air Sorting Office in course of transmission The matter was reported on 18-2-78 to the local police at Bhagalpur (Bihar) from where they were found to have been posted Police and departmental investigations are in progress

(c) Yes, Sir, one person so far

(d) and (e) No involvement of postal employees has come to light as yet

नकली औषधियों एवं टीकों का बनाया जाना

4132. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में नकली औषधियां एवं टीके भारी मात्रा में बनाए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप डाक्टर बहुत परेशान हैं और रोगियों का जीवन खतरे में है ,

(ख) क्या सरकार नकली औषधियां बनाने वालों एवं औषधियों में मिलावट करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों को और अधिक कठोर बनाएगी जिससे इस अमानवीय धंधे को समाप्त किया जा सके , और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि भारी मात्रा में नकली औषधियां और टीके बनाए जा रहे हैं । औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके अधीन नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत, औषधियों के विक्रय और निर्माण पर नियंत्रण राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन से इस बारे में उनके पास आई हुई सूचना को भेजने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) नकली और मिलावटी औषधियों के निर्माण और विक्रय पर कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिए औषधि और प्रसाधन-सामग्री अधिनियम को संशोधित करने का विचार है । विभिन्न प्रस्तावित संशोधनों पर काफी आगे तक कार्यवाही कर ली गई है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के निकट नन्दनी खदानों में कार्यरत मजदूर

4133. **श्री मोहन भैय्या :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के निकट नन्दनी खदानों में ठेकेदारों एवं सोसाइटी के अन्तर्गत कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त खदानों का अधिग्रहण करने का है और यदि हां तो ऐसा कब तक किया जायगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने की नन्दनी खानों में ठेकेदारों तथा श्रमिक सहकारी समिति के अधीन काम कर रहे श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है —

ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे श्रमिक . . .	355
श्रमिक सहकारी समिति के अधीन काम कर रहे श्रमिक . . .	824

(ख) नन्दनी की चूने-पत्थर की खानें भिलाई इस्पात कारखाने की रक्षित खानें हैं अतः इनका सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का प्रश्न नहीं उठता ।